



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/239

विवि.एसटीआर.आरईसी.158/21.04.048/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025

विषयवस्तु

अध्याय I - प्रारंभिक.....	4
ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -	4
बी. प्रयोज्यता	4
अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ.....	7
ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां:.....	7
बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग	8
सी. प्रकटीकरण	9
अध्याय III - पुनर्चना के लिए प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड	10
ए. खातों की पुनर्चना - सामान्य अनुदेश	10
अध्याय IV - पुनर्चना के विशेष मामले.....	11
ए. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना	11
अध्याय V - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)	17
ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन:	17
अध्याय VI - विशेष उपाय.....	21
ए. व्यापार राहत उपाय	21
अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान	22
ए. निरसन और बचाव.....	22
बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं	23



सी. व्याख्याएँ	23
अनुलग्नक	24



प्रस्तावना

ये निदेश दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। ये निदेश प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के लिए समझौता समझौतों और तकनीकी बट्टे-खाते डालना पर निर्देशों को तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण भी बनाते हैं।

कुछ स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के कार्यान्वयन में भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समर्थन के बदले उधारकर्ताओं के लक्षित वर्ग के ऋण दायित्वों का त्याग / छूट शामिल है। यदि ऐसी योजनाओं की घोषणा बार-बार, असंगत रूप से, या वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों पर उचित विचार किए बिना की जाती है, तो इससे ऋण अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लंबे समय में, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह के लिए प्रति-उत्पादक हो सकता है। क्रेडिट अनुशासन और नैतिक खतरे के मुद्दों के व्यापक निहितार्थों के अलावा, डीआरएस कुछ विवेकपूर्ण चिंताओं को भी बढ़ाता है, जिसमें बकाया राशि की प्राप्ति में देरी; एलएबी द्वारा स्वीकार किए गए दावों और संबंधित सरकार द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल; एलएबी द्वारा नए ऋण की अनिवार्य आवश्यकता आदि शामिल हैं। ये निदेश डीआरएस में एलएबी की भागीदारी के संबंध में कुछ व्यापक सिद्धांतों को भी निर्धारित करते हैं और एक मॉडल संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों के साथ उनके विचार हेतु साझा किया गया है ताकि ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे।



तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इन निर्देशों को जारी करता है जो इसके बाद निर्दिष्ट हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1. इन निर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होंगे (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंकों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

सी. परिभाषाएं

4. इन निर्देशों में, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो:
 - (1) *समझौता निपटान* का अर्थ उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों को पूरी तरह से नकद में निपटाने के लिए उधारकर्ता के साथ की गई व्यवस्था को संदर्भित करेगा।



स्पष्टीकरण: समझौता निपटान में उधारकर्ता के हिस्से पर बैंक से देय राशि का कुछ त्याग शामिल हो सकता है, जिससे उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों की उसी सीमा तक छूट हो सकती है।

- (2) 'चूक' का अर्थ होगा ऋण का भुगतान न करना (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिभाषित) जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गई है और देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के लिए, चूक का अभिप्राय उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वीकृत सीमा से लगातार अधिक शेष राशि या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, तीस दिनों से अधिक समय तक होगा।

- (3) *तकनीकी बट्टे-खाते डालना* 'उन मामलों को संदर्भित करेगा जहां गैर-निष्पादित *आस्तियां* उधारकर्ताओं के ऋण खाता स्तर पर बकाया रहती हैं, लेकिन किसी भी ऋण के खिलाफ दावों की छूट के बिना, और उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना, केवल लेखा उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा *बट्टे-खाते डालना* (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) की जाती है।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि यहाँ परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ रखती हैं जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन



या रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दों की शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग किए जाने वाले, जैसा भी मामला हो, के तहत सौंपा गया है।



अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां:

6. बैंक, दबावग्रस्त आस्तियों की पुनर्रचना / पुनर्वास के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा।
7. बैंक उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने के साथ-साथ तकनीकी बट्टे-खाते डालने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) सभी समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक निर्धारण, अपेक्षित शर्तों के विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जैसे न्यूनतम परिपक्वन, संपार्श्विक मूल्य में गिरावट आदि;
- (2) बोर्ड द्वारा तय की जानेवाली उचित सीमा और समय-सीमा के साथ ऐसे मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए श्रेणीबद्ध ढांचा;
- (3) उपलब्धता के अनुसार, प्रतिभूति / संपार्श्विक के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य की विवेकपूर्ण गणना के बाद निपटान राशि पर पहुंचने के दौरान विभिन्न श्रेणियों के एक्सपोजर के लिए अनुमेय घाटा से संबंधित प्रावधान;
- (4) समझौता निपटान के संबंध में प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य पर पहुंचने के लिए कार्यप्रणाली।
- (5) निम्नलिखित के अधीन समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के अनुमोदन / मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन:



- (i) इस तरह की मंजूरी के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन एक प्राधिकरण (व्यक्ति या समिति, जैसा भी मामला हो) के पास होता है जो क्रेडिट / निवेश एक्सपोजर को मंजूरी देने के लिए शक्ति निहित प्राधिकरण की तुलना में पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर ऊंचा होता है।

बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो ऋण स्वीकृत करने का हिस्सा था (व्यक्तिगत या समिति के हिस्से के रूप में) किसी भी क्षमता में उसी ऋण खाते के समझौता निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हिस्सा नहीं होगा।

- (ii) धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में समझौते के प्रस्तावों के लिए, जैसा कि पैरा 16 से 31 के संदर्भ में अनुमत है, सभी मामलों में बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी।

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग

8. बैंक, ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की चूक की शीघ्र पहचान ऐसी आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके करेगा:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		ऐसे ऋण जो परिक्रामी सुविधाओं के रूप में होते हैं जैसे कि नकद क्रेडिट /ओवरड्राफ्ट	
एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय	एसएमए उप-श्रेणी	बकाया राशि, स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो - अवधि के लिए अधिक बनी रहती है



एसएमए - 0	30 दिन तक	-	-
एसएमए - 1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए -1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

9. उधारकर्ता के खातों के एसएमए श्रेणियों में वर्गीकरण के निदेश बैंक के एक्सपोजर आकार पर विचार किए बिना फसल मौसम-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों के अलावा सभी ऋणों (खुदरा ऋणों सहित) के लिए लागू हैं।
10. बैंक को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियम, 2017 की सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और संहिता और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करेगा।

सी. प्रकटीकरण

11. बैंक अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखा के नोट्स' में उपयुक्त प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतियां और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट किया गया है।



अध्याय III – पुनर्रचना के लिए प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड

ए. खातों की पुनर्रचना – सामान्य अनुदेश

12. कोई भी आस्ति जहां ब्याज और मूलधन के संबंध में ऋण के करार की शर्तों पर पुनः परक्रामण किया गया है या पुनः निर्धारित किया गया है, उसे अव-मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पुनः परक्रामण या पुनर्निर्धारित शर्तों के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के कम से कम एक वर्ष तक ऐसी श्रेणी में रहना चाहिए।

13. किसी आस्ति का वर्गीकरण केवल पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि उपरोक्त शर्त का संतोषजनक अनुपालन न हो।

14. जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक की है, साथ ही कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, पुनर्गठन के लिए अयोग्य रहेगा।

15. इरादतन चूककर्ता या कोई भी इकाई जिसके साथ एक इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, इरादतन चूककर्ताओं की सूची से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के उपरांत पुनर्गठन के लिए पात्र होगा, जो कि [भारतीय रिजर्व बैंक \(स्थानीय क्षेत्र बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन\) निदेश, 2025](#) के संदर्भ में इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक निष्पादन के अधीन है।



अध्याय IV - पुनर्रचना के विशेष मामले

ए. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना

16. समझौता निपटान का उद्देश्य बैंक के सर्वोत्तम हित में, न्यूनतम खर्च पर संकटग्रस्त उधारकर्ता से अधिकतम वसूली करना होगा।
17. समझौता निपटान उधारकर्ताओं के लिए अधिकार के मामले में उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह एक बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर प्रयोग किया जाने वाला विवेक है।
18. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना भविष्य की आकस्मिक वसूली या बैंक द्वारा वसूली से संबंधित बैंक और उधारकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक प्रावधानों के लिए पूर्वाग्रह के बिना होंगे, इस तरह के दावों के निपटान के समय या बाद में ऐसी प्राप्ति की वास्तविक वसूली तक बैंक के तुलन पत्र पर किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं होने के अधीन।
बशर्ते बैंक के तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त ऐसे कोई भी दावे व्यवस्था को पुनर्रचना के रूप में माना जाएगा।
19. पैरा 18 के बावजूद, ऐसा समझौता निपटान जहां तय की गई निपटान राशि के भुगतान की अवधि तीन महीनों से अधिक हो, उन्हें पुनर्रचना माना जाएगा।
20. उधारकर्ता के साथ आंशिक निपटान से जुड़ी कोई भी व्यवस्था पुनर्रचना की परिभाषा के अंतर्गत भी आएगी और उस पर लागू प्रावधानों द्वारा शासित होगी।



21. तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बैंक द्वारा की गई एक लेखा प्रक्रिया है जिसे अशोध्य ऋणों को तुलन पत्र से साफ करने के लिए किया जाता है जो या तो अप्राप्य माने जाते हैं या जिनकी वसूली में उधारदाताओं के असमान संसाधनों की खपत होने की संभावना है। हालाँकि, इस तरह के तकनीकी बट्टे-खाते डालना में उधारकर्ता के विरुद्ध दावों की कोई छूट शामिल नहीं है और इस प्रकार बैंक के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जाएगा। तकनीकी बट्टे-खाते डालना से पहले की स्थिति के मुकाबले उधारकर्ताओं का कानूनी दायित्व और उनके लिए इस तरह के चूक की लागत अपरिवर्तित रहती है।
22. आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने के मामले में, प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण सहित अवशिष्ट एक्सपोजर के संबंध में विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ मूल एक्सपोजर के संदर्भ में होंगी।
- बशर्ते* आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि सहित प्रावधानीकरण की राशि आस्ति के सकल मूल्य पर गणना के अनुसार मौजूदा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को पूरा करेगी।
23. समझौता निपटान और किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तकनीकी बट्टे खाते में डालने के संबंध में कम से कम तिमाही आधार पर अगले उच्च प्राधिकारी को सूचना का रिपोर्टिंग तंत्र होगा।
- बशर्ते* एमडी एवं सीईओ / बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।
24. बोर्ड उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि कम से कम निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके:



- (1) समझौता निपटान और / या तकनीकी *बट्टे-खाते डालना* (क्यू-ओ-क्यू और वाई-ओ-वाई) के अधीन खातों और राशियों की संख्या में प्रवृत्ति;
- (2) उपरोक्त (1) में से, धोखाधड़ी, रेड-फ्लैग, इरादतन चूक और त्वरित अवसान खातों के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विभाजन;
- (3) राशि-वार, स्वीकृति प्राधिकारी-वार, और ऐसे खातों का व्यवसाय खंड / आस्ति-वर्गवार समूहीकरण;
- (4) तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली की सीमा।

25. समझौता निपटान के अधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के लिए नए जोखिमों को स्वीकार करने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्धारित एक विराम अवधि होगी।

बशर्ते कृषि ऋण एक्सपोजर के अलावा अन्य एक्सपोजर के संबंध में विराम अवधि 12 महीने की न्यूनतम अवधि के अधीन होगी, जिसमें बैंक अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के संदर्भ में उच्च विराम अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बशर्ते यह भी कि कृषि ऋण एक्सपोजर के लिए विराम अवधि बैंक द्वारा उनकी संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कृषि ऋण से [भारतीय रिजर्व बैंक \(स्थानीय क्षेत्र बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण\) निदेश, 2025](#) में सूचीबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए विस्तारित ऋण का संदर्भ होगा।



26. तकनीकी बट्टे-खाते डालना के अधीन एक्सपोजर के संबंध में अपनाई जाने वाली विराम अवधि बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होगी।
27. बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही के लिए पूर्वाग्रह के बिना इरादतन चूककर्ताओं या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान या तकनीकी बट्टे-खाते डालना कर सकता है।
28. [भारतीय रिजर्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित\) और स्थानीय क्षेत्र बैंक\) निदेश, 2024](#) और [भारतीय रिजर्व बैंक \(स्थानीय क्षेत्र बैंक- इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन\) निदेश, 2025](#) के संदर्भ में धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपाय, उन मामलों में लागू रहेंगे जहां कोई बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान में प्रवेश करता है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में उपरोक्त पैरा 25 और 26 में निर्दिष्ट विराम अवधि, ऐसे दंडात्मक उपायों के लिए प्रतिकूल नहीं होगी।

एफएफ्यू1: सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के साथ समझौते में प्रवेश करने के लिए बैंक की अनुमति देने का क्या तर्क है?

प्राथमिक विनियामक उद्देश्य किसी बैंक को बिना किसी देरी के चूक में पैसे की वसूली के लिए विभिन्न मार्गों से सक्षम करना है। समय मूल्य हानि के अलावा, अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप आस्ति मूल्य में गिरावट आती है जो अंतिम वसूली को बाधित करती है। समझौता निपटान को इन निदेशों के तहत एक वैध समाधान तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। जब धोखाधड़ी या



इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से वसूली की बात आती है तो बैंक के लिए अनिवार्यताएं अलग नहीं होती हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान के बिना बैंक के तुलन पत्र पर इस तरह के एक्सपोजर जारी रखने से बैंक की निधि एक अनुत्पादक आस्ति में लॉक हो जाएंगी, जो वांछनीय स्थिति नहीं होगी। जब तक बड़े नीतिगत मुद्दों का उचित रूप से समाधान नहीं किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्यों की लागत अपराधियों द्वारा वहन नहीं की जाती, तब तक सुरक्षा उपायों के अधीन, बैंक द्वारा शीघ्र वसूली एक पसंदीदा विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही या प्रारम्भ की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कृत्य के अपराधी कानूनी दंड से बच न सकें।

एफएक्यू 2: बैंक को धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खातों की पुनर्रचना करने की अनुमति नहीं है। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान के लिए एक अलग निष्पादन क्यों निर्धारित किया जाता है?

आम तौर पर पुनर्रचना में पुनर्रचना के बाद भी उधारकर्ता इकाई का निरंतर एक्सपोजर रखने वाला बैंक शामिल होता है और इसलिए, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के मामले में, बैंक को उधारकर्ता इकाई के साथ अपने क्रेडिट संबंध को जारी रखने की अनुमति देना नैतिक खतरे से भरा होगा। दूसरी ओर, एक समझौता निपटान में उधारकर्ता के साथ बैंक का पूर्ण अलगाव शामिल होता है। इसलिए, किसी बैंक को अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार उधारकर्ताओं के साथ निपटान की अनुमति देने से वसूली की संभावना बढ़ जाएगी।



29. इन निदेशों के तहत उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान, प्रयोज्य किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना होंगे।
30. उपर्युक्त पैरा 29 की किसी बैंक ने न्यायिक मंच के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की है और वहाँ ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, उधारकर्ता के साथ किया गया कोई भी समझौता संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अधीन होगा।
31. सिविल न्यायालयों द्वारा आयोजित लोक अदालतों को संदर्भित किए जाने वाले मामलों की मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये होगी।



अध्याय V - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन:

32. बैंक, मौजूदा विनियामकीय मानदंडों के अधीन, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर, सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष डीआरएस में भाग लेने का निर्णय ले सकता है।
33. योजना का कोई भी प्रावधान जो उधारकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में हो या विवेकपूर्ण कारणों से उसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, उसे डीआरएस को डिजाइन करते समय परामर्श चरण के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी/ प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
34. बैंक स्पष्ट रूप से उस बकाया राशि का निर्धारण करेगा जो डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी बहियों में क्रिस्टलीकृत हो सकती है, जिसमें गैर-निष्पादित खातों में संचित ब्याज भी शामिल है, ताकि सरकार वित्तीय भागीदारी की सीमा के लिए उचित रूप से व्यवस्था कर सके।
35. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं का चयन ऐसी योजनाओं की शर्तों के अनुसार सख्ती से किया जाए ताकि तकनीकी आधार पर प्राधिकारियों द्वारा बाद में प्रवेश न किया जा सके।
36. योजना के नियम और शर्तों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पहलू, जिसमें नए क्रेडिट के विस्तार के लिए विराम अवधि, क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव आदि शामिल हैं, प्रस्तावित डीआरएस के तहत लाभ प्राप्त



करने के लिए उधारकर्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त करते समय उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

37. डीआरएस के लाभार्थियों के उधारकर्ता खातों में बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में या उसके कार्यान्वयन के बाद उपार्जित लेकिन अप्राप्त ब्याज की कोई भी छूट और / या मूलधन का त्याग, एक समझौता निपटान माना जाएगा और पैरा 16 से 31 में निहित विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

38. यदि डीआरएस के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उधारकर्ता के संपूर्ण बकाया देय राशि को कवर करती है, जिसमें बैंक द्वारा धनराशि प्राप्त करने की तारीख तक अर्जित मूलधन और ब्याज शामिल है, तो इससे उधारकर्ता के ऋण दायित्वों का समापन हो जाएगा।

39. ऐसे मामलों में जहां योजना के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धन उधारकर्ता के पूरे बकाया देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट एक्सपोजर (मूलधन और / या उपार्जित ब्याज) होता है, अवशिष्ट एक्सपोजर के आस्ति वर्गीकरण का मूल्यांकन मूल ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते ऐसे मामलों में मूल ऋण अनुबंध के नियम और शर्तों में कोई भी परिवर्तन / आशोधन इन निदेशों में परिभाषित पुनर्चना के परीक्षण के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

40. ऐसे उधारकर्ताओं को कोई भी नया क्रेडिट एक्सपोजर प्रासंगिक आंतरिक नीति के तहत बैंक के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार होगा, जो मौजूदा लागू नियमों के अधीन होगा।



41. योजना के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट सूचना कंपनियों को बैंक की रिपोर्टिंग इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित की जाएगी।
42. डीआरएस के कारण सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्य राशियाँ नहीं बनायी जाएगी और बैंक द्वारा धन प्राप्त होने तक उधारकर्ता पर एक्सपोजर जारी रहेगा।
43. निधि प्राप्त होने तक, बैंक आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना जारी रखेगा और जहां भी खाते गैर-निष्पादित हैं, बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वसूली उपायों के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।
44. पैरा 32 से 43 में निहित निदेश 31 दिसंबर, 2024 को या उसके बाद अधिसूचित डीआरएस के संबंध में लागू होंगे और इन अनुदेशों में निहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।
45. इन अनुदेशों के संदर्भ में, एक मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी राज्य सरकारों ([अनुलग्नक](#)) के साथ साझा की गई है, ताकि सरकार, ऋणदाता, उधारकर्ता आदि सहित हितधारकों की अपेक्षाओं के किसी भी गैर-संरेखण के परिवर्जन के लिए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित किया जा सके।
46. 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषित राहत उपायों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक समय से सरकार के पास लंबित किसी भी बकाया राशि पर 100% विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा।



47. बैंक पैरा 46 में उल्लिखित बकाया राशि के निपटान के लिए आवश्यक करेगा और संबंधित सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।



अध्याय VI - विशेष उपाय

ए. व्यापार राहत उपाय

48. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण व्यापार व्यवधानों से ऋण के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक, [भारतीय रिजर्व बैंक \(व्यापार राहत उपाय\) निदेश, 2025 दिनांक 14 नवंबर, 2025](#) के तहत निर्दिष्ट पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय दे सकते हैं। इन निदेशों में, अन्य बातों के साथ, उपायों के लिए एक सावधि विधि खंड शामिल किया गया है।



अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

49. इन निदेशों के जारी होने के साथ, स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होने वाले दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि [28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।
50. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित कार्रवाई, या शुरू की गई कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावती इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (1) कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व अर्जित, उपार्जित या उसके तहत अर्जित;



- (2) कोई भी दंड, जब्ती, या कोई भी सजा जो उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में हुई है;
- (3) उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या जुर्माना के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती या जुर्माना लगाया जा सकती है जैसे कि उन निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं

51. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अपवाद नहीं होंगे।

सी. व्याख्याएँ

52. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के प्रयोज्यता या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक को आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक

मॉडल परिचालन प्रक्रिया (सरकारी ऋण राहत योजनाएं)

कवरेज और अर्थ

1. मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) के प्रयोजन के लिए, ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिनमें उधारकर्ताओं के लक्षित खंड के ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए वित्तीय अधिकारियों द्वारा वित्त पोषण शामिल है जिसे विनियमित संस्थाओं को त्याग / छूट देने की आवश्यकता होती है।
2. ऐसी किसी भी डीआरएस की घोषणा / अधिसूचना में इस प्रकार के समर्थन की घोषणा करने की आवश्यकता वाली विशिष्ट तनाव या संकट की स्थिति शामिल होनी चाहिए। क्रेडिट संस्कृति के लिए इस तरह के डीआरएस के व्यापक निहितार्थ को देखते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में स्पष्ट राजकोषीय समर्थन के माध्यम से व्यापक आधार वाले राहत उपायों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है जब वित्तीय तनाव को कम करने के अन्य उपाय विफल हो गए हों और डीआरएस को केवल अंतिम उपाय के रूप में माना गया हो।

अधिसूचना-पूर्व परामर्श

3. किसी भी डीआरएस की घोषणा करने से पहले, सरकारें डीआरएस की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए समन्वित कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ जुड़ सकती हैं। इन योजनाओं में उधारकर्ताओं की



पहचान, प्रभाव का आकलन, कार्यान्वयन समय-सीमा, उधारदाताओं को सरकार द्वारा देय राशि के निपटान से संबंधित मुद्दों का समाधान आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

4. डिजाइन विशेषताओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीआरएस क्षेत्र / राज्य के वित्तीय स्थिरता पहलुओं को प्रभावित न करे या उधारकर्ता सेगमेंट में नैतिक संकट उत्पन्न न हो। क्रेडिट निपटान पर प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजना का वित्तपोषण

5. आवश्यक निपटान राशि को पूरी तरह से कवर करने के लिए किसी भी प्रस्तावित डीआरएस के लिए विस्तृत बजटीय प्रावधान / निधियन अग्रिम रूप से प्रदान किया जा सकता है। जहां विनियमित संस्थाओं की सरकार के पास बकाया राशि है जो कि पहले की डीआरएस योजनाओं से संबंधित है तो नई योजनाओं की घोषणा केवल पूर्णता: पूर्व-वित्त पोषित आधार पर की जानी चाहिए।

योजना का डिजाइन

6. डीआरएस केवल प्रभावित उधारकर्ताओं पर लक्षित होना चाहिए और इसमें समय पर पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंधात्मक वचन-पत्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इसमें वस्तुनिष्ठ आधार पर पात्र उधारकर्ताओं का निर्धारण करने के लिए मानदंड, सरकार की ओर से धन के निपटान में देरी के क्षतिपूर्ति खंडों के साथ-साथ दावा दाखिल करने / जमा करने की कट-ऑफ तिथियों सहित गंभीर/महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत समय-सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।



7. डीआरएस को सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं से धन प्राप्त करने की तारीख तक मूलधन और संचित ब्याज सहित कवर किए जा रहे उधारकर्ताओं की पूरी बकाया राशि शामिल करना चाहिए।
8. डीआरएस को विनियमित इकाई की बहियों में सरकार से प्राप्य राशि के सृजन आवश्यकता नहीं है। विनियमित संस्थाओं का उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर जारी रहेगा और सरकार से प्राप्त निधि की सीमा तक कम हो जाएगा।
9. योजना का संपूर्ण कार्यान्वयन और विनियमित संस्थाओं के प्रति सरकारों द्वारा दावों का निपटान आम तौर पर 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
10. डीआरएस में रिज़र्व बैंक / राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी किसी भी विनियामक निदेश के विपरीत कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।
11. डीआरएस के डिजाइन में कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए जो विनियमित संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व डालता है जिसमें सम्मिलित है :

ए. उधारकर्ता से अपने देय राशि की/का आंशिक या संपूर्ण छूट / त्याग;

बी. उन उधारकर्ताओं को नया ऋण प्रदान करें जिनका ऋण माफ 1 कर दिया गया है;

सी. भविष्य में बजटीय समर्थन की प्रत्याशा में कोई प्रतिबद्धता न करें;

डी. उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए, सरकार से धन की प्राप्ति लंबित होने पर, उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय का अनुसरण करना बंद करें।



तथापि, यदि विनियमित संस्थाएं डीआरएस के डिजाइन के दौरान या उसके बाद में, अपने बोर्ड की अनुमोदित नीतियों के अनुसार उपरोक्त में से किसी पर सहमत होती हैं, तो वह लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगा।